*गुन्ह्यांचे वर्गीकरण*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| विभाग | **ओळखण्यायोग्य किंवा**  **न कळण्याजोगे** | **जामीनपात्र किंवा**  **अजामीनपात्र** | कोणत्या कोर्टाने ट्रायबल |
| 120-बी | त्यानुसार कटाचा उद्देश असलेला गुन्हा दखलपात्र म्हणजे अदखलपात्र आहे | त्यानुसार कट रचणारा गुन्हा जामीनपात्र किंवा अजामीनपात्र आहे | ज्या न्यायालयाद्वारे कट रचण्याचा उद्देश असलेल्या गुन्ह्याला उत्तेजन देणे न्याय्य आहे |
| 124 | आकलनीय | अजामीनपात्र | सत्र न्यायालय |
| 143 | आकलनीय | जामीनपात्र | कोणताही दंडाधिकारी |
| 148 | आकलनीय | जामीनपात्र | प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी |
| 149 | त्यानुसार गुन्हा दखलपात्र किंवा अदखलपात्र आहे | त्यानुसार गुन्हा जामीनपात्र किंवा अजामीनपात्र आहे | ज्या न्यायालयाद्वारे गुन्हा तपासण्यायोग्य आहे |
| 150 | आकलनीय | त्यानुसार गुन्हा जामीनपात्र किंवा अजामीनपात्र आहे | ज्या न्यायालयाद्वारे गुन्हा तपासण्यायोग्य आहे |
| १५२ | आकलनीय | जामीनपात्र | प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी |
| १५७ | आकलनीय | जामीनपात्र | कोणताही दंडाधिकारी |
| १५८ | आकलनीय | जामीनपात्र | कोणताही दंडाधिकारी |
| 171-ई | न कळण्याजोगे | जामीनपात्र | प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी |
| १७२, १७३,  १७४, १७७ | न कळण्याजोगे | जामीनपात्र | कोणताही दंडाधिकारी |
| १९३ | न कळण्याजोगे | जामीनपात्र | प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी |
| 200 | न कळण्याजोगे | जामीनपात्र | खोटा पुरावा दिल्याचा कोणता गुन्हा कोर्टाने न्याय्य आहे |
| 203 | न कळण्याजोगे | जामीनपात्र | कोणताही दंडाधिकारी |
| 209 | न कळण्याजोगे | जामीनपात्र | प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी |
| 216-ए | आकलनीय | जामीनपात्र | प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी |
| २५५ | आकलनीय | अजामीनपात्र | सत्र न्यायालय |
| 302, 304 | आकलनीय | अजामीनपात्र | सत्र न्यायालय |
| 304A | आकलनीय | जामीनपात्र | प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी |
| 304B | आकलनीय | अजामीनपात्र | सत्र न्यायालय |
| 307, 308 | आकलनीय | अजामीनपात्र | सत्र न्यायालय |
| 309 | आकलनीय | जामीनपात्र | कोणताही दंडाधिकारी |
| 311 | आकलनीय | अजामीनपात्र | सत्र न्यायालय |
| 312 | न कळण्याजोगे | जामीनपात्र | प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी |
| ३१३ | आकलनीय | अजामीनपात्र | सत्र न्यायालय |
| ३२३ | न कळण्याजोगे | जामीनपात्र | कोणताही दंडाधिकारी |
| ३२४, ३२५ | आकलनीय | जामीनपात्र | कोणताही दंडाधिकारी |
| ३२६, ३२७ | आकलनीय | अजामीनपात्र | प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी |
| ३३३ | आकलनीय | अजामीनपात्र | सत्र न्यायालय |
| ३४१,३४२,  354 | आकलनीय | जामीनपात्र | कोणताही दंडाधिकारी |
| ३६३ | आकलनीय | जामीनपात्र | प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी |
| 364, 364A  ३६६, ३६६अ  366B | आकलनीय | अजामीनपात्र | सत्र न्यायालय |
| ३७६ | आकलनीय | अजामीनपात्र | सत्र न्यायालय |
| 376A | न कळण्याजोगे | जामीनपात्र | सत्र न्यायालय |
| 376C | आकलनीय | जामीनपात्र | सत्र न्यायालय |
| ३७६डी | आकलनीय | जामीनपात्र | सत्र न्यायालय |
| ३७७ | आकलनीय | अजामीनपात्र | प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी |
| ३७९, ३८०,  ३८१, ३८४ | आकलनीय | अजामीनपात्र | कोणताही दंडाधिकारी |
| ३९२, ३९३ | आकलनीय | अजामीनपात्र | प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी |
| ३९५, ३९६ | आकलनीय | अजामीनपात्र | सत्र न्यायालय |
| ४०६, ४०७,  409 | आकलनीय | अजामीनपात्र | प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी |
| 411 | आकलनीय | अजामीनपात्र | कोणताही दंडाधिकारी |
| ४१७ | न कळण्याजोगे | जामीनपात्र | कोणताही दंडाधिकारी |
| 420 | आकलनीय | अजामीनपात्र | प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी |
| ४२६ | न कळण्याजोगे | जामीनपात्र | कोणताही दंडाधिकारी |
| ४४७, ४४८,  ४५१ | आकलनीय | जामीनपात्र | कोणताही दंडाधिकारी |
| ४५२ | आकलनीय | अजामीनपात्र | कोणताही दंडाधिकारी |
| ४६५ | न कळण्याजोगे | जामीनपात्र | प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी |
| ४६७ | न कळण्याजोगे | अजामीनपात्र | प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी |
| ४६८ | आकलनीय | अजामीनपात्र | प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी |
| 477A | न कळण्याजोगे | जामीनपात्र | प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी |
| 489A | आकलनीय | अजामीनपात्र | सत्र न्यायालय |
| ४९३ | न कळण्याजोगे | अजामीनपात्र | प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी |
| ४९४, ४९५,  ४९६, ४९७ | न कळण्याजोगे | जामीनपात्र | प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी |
| 498A | आकलनीय | अजामीनपात्र | प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी |
| ५०० | न कळण्याजोगे | जामीनपात्र | सत्र न्यायालय |
| ५०६ | न कळण्याजोगे | जामीनपात्र | कोणताही दंडाधिकारी |